

भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाडी

क्रमांक-2105-07/20

दिनांक:-24/9/20

ले-आउट प्लान समिति की 11वी बैठक दिनांक 11.09.2020 का

कार्यवाही विवरण


उद्योग विभाग (ग्रुप 1) के द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.05.2018 द्वारा गठित भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण की ले-आउट प्लान समिति की 11वी बैठक डी.एम.आई.सी. जयपुर बीडा के आदेश दिनांक 28.11.2018 की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडा भिवाडी की अध्यक्षता में दिनांक 11.09.2020 को 11.00 बजे बीडा कार्यालय मे आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारीगणों ने भाग लिया:-


- | | | | |
|----|-------------------------|---|------------|
| 1. | श्री विकास मीणा | सहा0 अभियन्ता,
बीडा भिवाडी | सदस्य |
| 2 | श्री रतन लाल | का0 तहसीलदार/भूमि निरीक्षक
बीडा भिवाडी | सदस्य |
| 3 | श्री पूर्णा राम बेनीवाल | वरि0 नगर नियोजक,
बीडा भिवाडी | सदस्य सचिव |


समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा प्रकरणों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया तदुपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:


	एल.पी.सी (बीपी) संख्या	11
	दिनांक	11.09.2020
	एजेण्डा	01
1	विषय	श्री जीवन सिंह पुत्र श्री प्यारेलाल निवासी ग्राम बलवन्दका तह0 रामगढ अजवर एवं श्री जल सिंह पुत्र श्री गंगासहाय निवासी ग्राम चौराटी पहाड तह0 रामगढ जिला अलवर द्वारा ग्राम बीरनवास तह0 कोटकासिम के खसरा नं0 398/288, 268/51, 269/51, 270/51, 271/51, 286/65 कुल किता 06 कुल रकबा 7.88 है0 भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु ले-आउट प्लान स्वीकृति की समयावधि बढ़ाने हेतु
2	आवेदक का नाम	श्री जीवन सिंह पुत्र श्री प्यारेलाल निवासी ग्राम बलवन्दका तह0 रामगढ अजवर एवं श्री जल सिंह पुत्र श्री गंगासहाय निवासी ग्राम चौराटी पहाड तह0 रामगढ जिला अलवर
3	वास्तुविद का नाम	श्री मानसिंह मीणा
4	वास्तुविद का पंजीयन क्रमांक	CA/10/49305
5	भूखण्ड का क्षेत्रफल	7.88 है0
6	भूखण्ड के सामने सडक की चौडाई	45 मी0 (प्रस्तावित)
7	भूखण्ड का उपयोग	आवासीय (प्लोटेड)
8	प्रकरण की स्थिति	श्री जीवन सिंह पुत्र श्री प्यारेलाल निवासी ग्राम बलवन्दका तह0 रामगढ अजवर एवं श्री जल सिंह पुत्र श्री गंगासहाय निवासी ग्राम चौराटी पहाड तह0 रामगढ जिला अलवर द्वारा ग्राम बीरनवास तह0 कोटकासिम के खसरा नं0 398/288, 268/51, 269/51, 270/51, 271/51, 286/65 कुल किता 06 कुल रकबा 7.88 है0 भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु ले-आउट प्लान दिनांक 22.06.2017 को स्वीकृत कर जारी किये गये थे।
09	विचारणीय बिन्दु एवं प्रकरण के तथ्य:-	<p>01. परियोजना का ले-आउट प्लान बीडा अर्थात तत्समय न्यास की ले-आउट प्लान समिति की 42 वी बैठक दिनांक 07.04.2017 में रखा जाकर दिनांक 22.06.2017 को स्वीकृत कर जारी किया गया है। परियोजना के दिनांक 22.06.2017 को स्वीकृत ले-आउट प्लान की समयावधि 21.06.2020 को समाप्त हो चुकी है। आवेदक द्वारा पूर्व स्वीकृत ले-आउट प्लान में कोविड के कारण निर्माण पूर्ण करने में असमर्थता बताते हुये निर्माण समयावधि 2 वर्ष की वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है। अतः विचारार्थ।</p> <p>02. टॉउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार समयावधि प्रचलित रूपान्तरण शुल्क 10 प्रतिशत शास्ति लेकर बढ़ाया जा सकता है। अतः विचारार्थ।</p> <p>03.</p>

निर्णय:- समिति द्वारा पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं तथा ले-आउट प्लान का अवलोकन कर सर्वसम्मति से विचार विमर्श कर प्रकरण में स्वीकृत ले-आउट प्लान की समयावधि टॉउनशिप पॉलिसी के नियमानुसार राशि जमा कराकर 2 वर्ष बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया।


श्री विकास मीणा
सहा0 अभियन्ता
(सदस्य)


श्री रतिन लाल
का0 तहसीलदार
/मू-अभिलेख निरीक्षक
(सदस्य)


श्री पूर्ण राम बेनीवाल
वरि0 नगर नियोजक
(सदस्य सचिव)


श्री नीलाम सक्सेना
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(अध्यक्ष)